राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आदेशिका की प्रतिलिपि

(अन्य प्रयोजनार्थ)

दिनांक 19.04.2018 **परिवाद संख्या 12/02/4564**
12/02/4568

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

Note :- आदेश में पीडित व चिकित्सकों के नाम पहचान प्रकट नहीं हो, इसलिए हटाये गये हैं।

यह प्रकरण अत्यन्त दुखद घटना से सम्बन्धित है। एक बालक, उम्र लगभग 07 वर्ष, की धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार खतना की शल्य क्रिया हॉस्पीटल में दिनांक 10 नवम्बर, 2012 को की गई। परिवादी के अनुसार, शल्य क्रिया में गम्भीर लापरवाही की गई जिसके कारण से पीडित बालक (उम्र लगभग 07 वर्ष) का सम्पूर्ण लिंग काटना पडा। इस घटना से आक्रोशित परिवार के सदस्यों व क्षेत्रवासियों द्वारा हंगामा भी किया गया। इस घटना से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 140/2012 अन्तर्गत धारा 323, 341, 337, 504 भा.दं.सं., सम्बन्धित पुलिस थाना में दर्ज कराई गई। पीडित के परिवार का आरोप था कि अस्पताल में पीडित बालक की शल्य क्रिया डॉ. द्वारा की गई थी, जबकि उक्त डॉ. शल्य

चिकित्सक नहीं थे। बाद अनुसन्धान प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 140/2012 में अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 140 दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है जो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के न्यायालय में विचाराधीन है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अभियोग संख्या 140/2012 से पीडित डॉ. द्वारा एक याचिका संख्या 394/13 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में दायर की गई थी। उक्त याचिका में आदेश दिनांक 08 अप्रैल, 2013 से अनुसन्धान पर अंतिम रोक लगाई गई थी। उक्त स्थगन आदेश निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 से अनुसन्धान जारी रख, अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में अनुसन्धान पूर्ण कर, जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है, न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ने अपने पत्र दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि इस दुखद घटना की जांच हेतु एक चिकित्सकों की जांच समिति गठित की गई। उक्त जांच समिति द्वारा घटना में किसी चिकित्सक की लापरवाही नहीं पाई गई। चिकित्सकों की जांच समिति द्वारा इसे ***"यह एक सर्जरी का Rare of the rarest complication है "*** पाया गया।

इस प्रकरण में आयोग द्वारा पीडित के पिता के बडे भाई, पीडित के पिता, मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉ. तथा अन्य चिकित्सक, डॉ., के बयान भी लिये गये।

पुलिस अनुसन्धान व विभागीय कार्यवाही के अनुसार आरोपी डॉ. द्वारा शल्य क्रिया नहीं की गई थी, शल्य चिकित्सा अन्य डॉ. द्वारा की गई थी। आयोग द्वारा उक्त अन्य डॉ. के बयान भी लिये गये।

Medical Council of Rajasthan, Jaipur द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10 जून, 2014 की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई। Medical Council of Rajasthan द्वारा भी इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ राय ली गई। दो बार विशेषज्ञ राय लिये जाने के पश्चात Medical Council of Rajasthan द्वारा यही माना गया कि इस प्रकार की पेचीदगी शल्य क्रिया में बहुत ही कम होती है, चिकित्सकों की गलती इसमें नहीं रही है, फिर भी General body द्वारा डॉ. को चेतावनी दी गई। पत्रावली पर ऐसी शल्यक्रिया के दौरान होने वाली पेचीदगियों से सम्बन्धित प्रकाशित रिपोर्ट्स भी प्रस्तुत की गई।

पीडित बालक के पिता ने आज उपस्थित होकर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। पीडित के पिता को सुना भी गया।

यद्यपि विषय पूर्णतया तकनीकी है। पूर्णतया चिकित्सा जगत के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा ही राय दी जा सकती है तथा आयोग स्वयं विशेषज्ञ नहीं बन सकता है, लेकिन आयोग के लिए विचारणीय बिन्दु, राज्य के मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष व राज्य की Medical Council द्वारा दो बार विशेषज्ञ

समितियों की राय लिये जाने के पश्चात जो निष्कर्ष दिये गये हैं उन्हें यथावत स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात भी प्रमाणित स्थिति यह है कि एक, मात्र सात वर्षीय बालक के खतना की शल्य क्रिया एक निजी अस्पताल में दिनांक 10 नवम्बर, 2012 को की गई थी। उक्त शल्य क्रिया के दौरान हुई पेचीदगियों के कारण से रक्त रिसाव हुआ। उक्त रक्त रिसाव को रोकने के लिए Electro cautery का इस्तेमाल किया गया। परन्तु उच्च ईलाज में भिजवाये जाने के पश्चात भी व चिकित्सा सुविधा मिलने के पश्चात भी पीडित बालक के लिंग में Gangrene होने के कारण से लिंग काटना पडा। पीडित बालक के पेशाब का नया रास्ता बनाया गया। इस दुखद दुर्घटना को मेडिकल बोर्ड व Medical Council द्वारा Rarest of Rare दुर्घटना माना।

इस राय के विपरीत आयोग द्वारा परिवादी को आदेश दिनांक 05. 09.2017 व पुनः 05.04.2018 से अवसर प्रदान करने के पश्चात भी परिवादी आयोग के समक्ष विशेषज्ञ रिपोर्ट के निष्कर्षों के विपरीत अन्य विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका।

पीडित के पिता को विस्तार से सुनने के पश्चात आयोग के लिए यह धारणा करने का पर्याप्त कारण है कि पीडित व पीडित के परिवार को सही समय में सही विधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। पीडित परिवार द्वारा, जैसा कि पीडित के पिता द्वारा आज आयोग को बताया गाय है, पीडित पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा राज्य आयोग में शिकायत के

अलावा कहीं कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली को समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की प्रतिलिपि प्रेषित की गई थी जिसे राष्ट्रीय आयोग द्वारा राज्य आयोग को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। राज्य आयोग द्वारा भी इस घटना के समाचार प्रकाशित होने के आधार पर स्व–प्रेरणा से प्रकरण संख्या 12/03/4568 दर्ज कर सभी प्रकरणों पर एक साथ विचार किया गया। परिवादी व पीडित का परिवार इसी विश्वास में रहा है कि उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पीडित को पूरी न्यायिक सहायता मिल जायेगी, जबकि शल्य क्रिया निजी अस्पताल में निजी (Private) चिकित्सकों द्वारा की गई थी। इतनी बडी Disability, जिससे एक बालक का लिंग काटना पडा, वह बालक ज्यों–ज्यों बडा होगा उसकी वेदना व कुण्ठा उसके जीवन पर न सिर्फ रहेगी, बल्कि निरन्तर बढती जायेगी और ऐसे प्रकरण में पीडित व पीडित के परिजन अन्य ऐसी कार्यवाही नहीं कर सके, जहां उन्हें विधिक सहायता प्राप्त होती। पीडित के पिता को सुनने के पश्चात आयोग का मत है कि नाबालिग पीडित के परिवार को इन पेचीदगियों की जानकारी भी नहीं है कि चिकित्सकीय लापरवाही के गम्भीरतम प्रकरण में किस प्रकार से कार्यवाही की जानी चाहिए, पीडित का परिवार अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी से आज भी वंचित पाया जाता है। यह अलग बात है कि पूर्ण विधिक सहायता के पश्चात भी परिवादी किसी चिकित्सक की लापरवाही प्रमाणित कर सकता था अथवा नहीं, परन्तु निश्चित रूप से पीडित/पीडित का परिवार विधि की सहायता लेने से वंचित रहे हैं। यह

खेदजनक स्थिति है, क्योंकि अत्यन्त हृदयविदारक घटना के समाचार, चाहे व्यक्तिगत हों, कई समाचार पत्रों में कई बार प्रकाशित होने के पश्चात भी पीडित व उसका परिवार अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त नहीं कर सका।

यद्यपि निजी अस्पताल में निजी चिकित्सकों से ईलाज के दौरान शल्य क्रिया व उससे कोई अमानवीय हानि होने का चिकित्सकों की लापरवाही का प्रकरण विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति द्वारा व Medical Council की General body द्वारा नहीं माना गया है, परन्तु इस हृदयविदारक घटना को Rarest of Rare दुर्घटना माना यानि विशेषज्ञों के अनुसार, चिकित्सकों की सावधानी बरतने के पश्चात भी इस प्रकार का हादसा हो सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चिकित्सकों द्वारा पूरी सावधानी और पूरी निष्ठा से शल्य चिकित्सा अथवा अन्य उपचार किये जाने के पश्चात भी व विज्ञान की अत्यन्त उन्नत तकनीक, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव के पश्चात भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं और इसके लिए अगर चिकित्सक को दोषी ठहराया जायेगा तो चिकित्सकीय व्यवसाय (Profession) में कोई भी व्यक्ति न तो कार्य कर सकेगा और न ही निर्णय ले सकेगा। अतः चिकित्सा में चिकित्सक द्वारा अत्यन्त गम्भीर त्रुटि/भूल की है जो चिकित्सक की सावधानी से बचाई जा सकती थी, ऐसे पूर्ण व निश्चित निष्कर्ष के पश्चात ही दोषी चिकित्सक के विरूद्ध तथ्यों के अनुरूप हर्जाना व विभागीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जा सकता है। इस प्रकरण में विश्वस्त

दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने की चेष्टा की गई है कि ऐसी दुर्घटनाओं में चिकित्सक का दोष नहीं है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों व निष्कर्ष के पश्चात भी आयोग का मत है कि जब अनुभवी व योग्य चिकित्सकों की सावधानी के पश्चात भी अगर Rarest of Rare दुर्घटना हो सकती है तथा यह दुर्घटना किसी मानव को Rarest of Rare अपंगता देती है, जो उपर्युक्त मानव की सम्पूर्ण जिन्दगी का अत्यन्त महत्वपूर्ण जीवन ही समाप्त कर देती है, ऐसा हादसा जो सिर्फ शरीर को अत्यन्त महत्वपूर्ण अपंगता ही नहीं देता, बल्कि प्रतिदिन की मानसिक कुण्ठा भी देता है, प्रतिदिन का जीवन केवल स्वयं के लिए नर्क (Hell) ही नहीं, अपितु स्वयं के साथ-साथ परिजनों के लिए भी प्रतिदिन की कुण्ठा और शर्मिन्दगी प्रदान करता है, जिस अपंगता के कारण से व्यक्ति अपने घर, परिवार और नाते-रिश्तेदारों में जिन्दगी भर की शर्मिन्दगी महसूस करें, ऐसी विशेष परिस्थितियों में राज्य को अपने विशेष दायित्व को ध्यान में रखकर कम से कम आर्थिक सहायता तो दी जानी चाहिए। यहां पुनः उल्लेख करना आवश्यक है, जैसा कि अलग-अलग मेडिकल बोर्ड्स द्वारा प्रमाणित है कि यह एक Rarest of Rare हादसा है (चाहे भले ही चिकित्सक की गलती नहीं हो) राज्य के लिए भी यह Rarest of Rare प्रकरण है जिस पर राज्य आयोग चिकित्सकों, अस्पताल व व्यवस्था की गलती के बगैर केवल मानवता के आधार पर राज्य सरकार से पीडित व्यक्ति को जीवन भर बिना किसी शुल्क के चिकित्सकीय व्यवस्था प्रदान करने तथा पीडित को क्षतिपूर्ति नहीं होकर, सहायतार्थ राशि रूपये 05.00

लाख अदा करने की अनुशंषा करता है। अगर परिवादी द्वारा किसी अन्य न्यायिक प्रक्रिया से इससे अधिक राशि प्राप्त करने का न्यायिक निर्णय प्राप्त किया जाता है तो यह राशि उक्त न्यायिक निर्णय के अनुसार समायोजित की जा सकेगी। यह अनुग्रह राशि हर्जाने के रूप में या मुआवजे के रूप में नहीं दिलाई जा रही है। इस घटना से सम्बन्धित अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया जा चुका है तथा चिकित्सकों की गलती अब तक प्रमाणित नहीं है। अतः इस कारण भी आयोग किसी प्रकार का हर्जाना दिये जाने की अनुशंषा नहीं कर रहा है। प्रकरण में बिना विधिक सहायता पीडित व पीडित का परिवार उचित पैरवी नहीं कर सका है। इस कारण से आयोग चिकित्सकीय व्यवसाय के विशेषज्ञों की राय के पक्ष या विपक्ष में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। अतः ये बिन्दु अगर किसी न्यायालय में निर्णय हेतु लाये जायेंगे तो उक्त न्यायालय में इस आदेश में पारित कोई भी टिप्पणी, मेडिकल बोर्ड्स व Medical Council के निष्कर्ष के पक्ष या विपक्ष को प्रभावित नहीं करेगी। पक्षकारान अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र हैं।

राज्य से पीडित का सम्पूर्ण चिकित्सा व्यय वहन करने व राशि रूपये 05.00 लाख का अनुतोष दिलाये जाने का कारण ऊपर संक्षिप्त अंकित किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पीडित की स्थिति को समझ सकता है। इस कारण से विस्तार से तथ्य व कारण अंकित नहीं किये गये हैं।

पीडित के पिता ने बताया कि पीडित बालक के मूत्र निकासी हेतु अलग से रास्ता बनाया गया है, परन्तु वह कारगर नहीं रह पा रहा है। इस कारण

से पीडित बालक का बार–बार ईलाज भी करवाना पड रहा है। इस कारण से भी अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को पीडित के चिकित्सा व्यय को वहन करने का निर्देश दिया गया है।

अतः यह प्रकरण इन अनुशंषाओं के साथ समाप्त किये जाते हैं :–

1. राज्य सरकार पीडित को राशि रूपये 05.00 लाख आर्थिक सहायता, राजकोष के किसी भी मद से जिसमें मुख्यन्त्री सहायता कोष भी शामिल है, स्वीकृत कर अदा करें। उपर्युक्त राशि रूपये 05.00 लाख को, अगर पीडित व्यक्ति नाबालिग हो तो, राष्ट्रीयकृत बैंक में पीडित व्यक्ति के नाम से एफ.डी. (बालिग होने तक) कराई जावे, ताकि पीडित व्यक्ति को इस राशि से प्रतिमाह ब्याज प्राप्त हो सके। अगर पीडित व्यक्ति नाबालिग हो तो पीडित व्यक्ति का पिता जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर एफ.डी. की राशि में से आवश्यकतानुसार राशि अथवा सम्पूर्ण राशि जिला कलक्टर, अलवर की संतुष्टि के अनुसार कभी भी प्राप्त कर सकेगा।

2. राज्य सरकार पीडित व्यक्ति को जीवनपर्यन्त इस अपंगता से सम्बन्धित भविष्य में होने वाली चिकित्सा राज्य में बिना शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था करें।

3. राज्य सरकार पीडित को अन्य किसी सरकारी योजना, जो पीडित अथवा पीडित के परिवार के लिए लाभकारी हों, से लाभ भी प्रदान करें।

4. इस प्रकरण में दिया गया अनुतोष अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में प्रदान किया गया है। अतः ऐसा अनुतोष अन्य प्रकरणों में मात्र इस प्रकरण के निर्णय के आधार पर नहीं मांगा जा सकेगा।

आदेश प्रतिलिपि सूचनार्थ पीडित के पिता व परिवादी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश की एक-एक प्रतिलिपि मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

चूंकि यह प्रकरण विशिष्ट प्रकृति का है। अतः पीडित व्यक्ति की, चिकित्सकों की तथा पीडित के निवास, हॉस्पीटल आदि के बारे में जानकारी प्रकट नहीं हो, इस कारण से आदेश की एक अन्य प्रति अलग से तैयार की गई है जो आवश्यकता पडने पर आयोग की कार्यवाही के प्रकाशन इत्यादि के प्रयोग में ली जा सकेगी। मूल आदेश विभागीय कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को तथा सूचनार्थ मात्र परिवादी/पीडित को ही उपलब्ध कराया जायेगा।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष